FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री राधेश्याम	**बनाम**	तहसीलदार गंगरार

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 49 / 2021 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
08.10.2021	वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में गत पेशी पर वकील रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के अपील प्रकरण संख्या 2895 / 2005 निर्णय दिनांक 09.07.2018 की प्रति पेश की। अपीलाण्ट को इस बाबत् अवगत कराते हुए अन्यत्र जानकारी के लिए सूचित किया गया। वकील अपीलाण्ट द्वारा आज तक उक्त दस्तावेज के विरूद्ध कोई नया तथ्या, जानकारी, रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में वस्तुतः ग्राम चंदेरिया की बिलानाम आराजी नं. 107 / 2 रकबा 0.97 हैक्टेयर में से 880 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु संबंधित भूमि आवंटन नियमों के तहत नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ के पक्ष में आवंटन का विवाद है। उक्त आवंटन प्रथमतया जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 10.03.2004 को किया गया था, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ में होने पर अपील स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश को निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 27.04.2005 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा यह वर्णित किया गया कि 1967 में आवंटन नियमों के नियम 4 के तहत सामुदायिक भवन हेतु भूमि आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर को नहीं होकर राज्य सरकार को है। उक्त आवंटन निरस्तीकरण के राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ द्वारा माननीय		

	राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील संख्या 2895/2005 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.07.2018 से रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ की अपील स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 27.04.2005 को अपास्त कर दिया तथा अपने निर्णय में यह वर्णित किया कि नगरपालिका को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि बिलानाम बंजड़ है जिसके लिए जिला कलक्टर सक्षम अधिकारी है एवं राज्य सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जिला कलक्टर के उक्त सामुदायिक भवन हेतु ग्राम चंदेरिया की आराजी नं. 107/2 रकबा 0.97 हैक्टेयर में से **22X40=**880 वर्गमीटर भूमि के जिला कलक्टर के आवंटन आदेश को बहाल कर दिया। इस दौरान जिला कलक्टर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 27.04.2005 के अनुसरण में प्रकरण वास्ते स्वीकृति, राज्य सरकार को प्रेषित किया एवं राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.06.2005 से नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ के पक्ष में कीमतन आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान कर दी एवं उक्त स्वीकृति के अनुसरण में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पुनः अपने आदेश क्रमांक– 1039 दिनांक 30.06.2005 से पूर्व आवंटन का राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने से पुनः आवंटन किया। अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा पुनः दिनांक 30.06.2005 के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अब चूंकि प्रकरण में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पूर्व में किये गये आवंटन दिनांक 10.03.2004 को ही बहाल कर दिया है तथा इस		

	पर जिला कलक्टर द्वारा राजकीय स्वीकृति के बाद उसी भूमि के आवंटन पर अपील का कोई औचित्य नहीं रहता क्योंकि दिनांक 10.03.2004 से जिला कलक्टर द्वारा किये गये आवंटन आदेश को माननीय राजस्व मण्डल ने वैद्यता प्रदान कर दी है अर्थात् दिनांक 10.03.2004 का विवादित भूमि का नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ को किया गया आवंटन बहाल रहा है, अतएवं जिला कलक्टर के समान भूमि के समान विषय–वस्तु के आवंटन व समान पक्षकार द्वारा आपत्ति की यह अपील पूर्व आवंटन के बहाल रह जाने के कारण निष्फल **(Infructous)** हो जाती है। इस अपील के निष्फल हो जाने के कारण यह अपील खारिज की जाती है।		